भाकृअनुप – भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
ICAR-Indian Institute of Soil & Water Conservation
अनुसंधान केंद्र,दतिया, म०प्र०,४७५६६१
Research Centre-Datia, MP, 475661

क्रम स. 322 2/(8)/2025-26/भंडार/दतिया

दिनाँक 18.09.2025

अधिसूचना

एतद द्वारा समस्त इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि इस केंद्र ने अपने अधीनस्थ प्रक्षेत्र के "245 पेड़ो मे लगे आंवला के फलों की खुली नीलामी" करने का निश्चय किया है। यह नीलामी दिनांक 06/10/2025 (दिन सोमवार) को 11.00 बजे दिन में होगी । इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व प्रक्षेत्र का निरीक्षण कर सकते है ।

नीलामी की शर्तें :-

1. बोली पश्चात फलों की तुड़ाई की अंतिम तिथि तक फलों के पोधों की सम्पूर्ण देख रेख व प्रबंधन की ज़िम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी।
2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को रुपये 20000/-(रुपये बीस हजार मात्र) अमानत के तौर पर नीलामी से पहले कार्यालय में जमा करने होंगे जो अधिकतम बोलीदाता एवं द्वितीय बोलीदाता को छोड़कर अन्य को उसी दिन वापिस कर दी जाएगी।
3. अधिकतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने के तुरंत बाद नीलामी की कुल रकम का आधा 50 प्रतिशत भाग कार्यालय में चेक/ऑनलाइन जमा करना होगा। अन्यथा अमानत की राशि जप्त कर ली जायगी। शेष रकम (पूर्ण 7 दिवस के अन्दर चेक/ऑनलाइन जमा करनी होगी।
4. केन्द्राध्यक्ष को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह स्वविवेक से किसी भी अधिकतम बोली को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत कर सकते है अर्थात बोली तभी मान्य होगी जब उसे केन्द्राध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत कर दिया जायेगा ।
5. कार्य करते समय प्रक्षेत्र की संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति/नुकसान नहीं होना चाहिए । यदि उस अवधि में ठेकेदार या उसके मजदूरों द्वारा प्रक्षेत्र को किसी प्रकार की क्षति/नुकसान किया जाता है तो उसके लिए ठेकेदार के खिलाफ केन्द्राध्यक्ष जो निर्णय करेंगे वह मान्य होगा तथा उसका पालन न करने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है
6. अधिकतम बोली की कुल रकम का 10 प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में जमा करना होगा । जो ठेका समाप्त होने पर वापस कर दिया जायेगा ।
7. आंवले तोड़ने की अंतिम तिथि 31/12/2025 रहेगी।
8. उक्त कार्य केवल दिवस में ही होगा। शनिवार, रविवार या अन्य अवकाशों में अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. किसी भी स्थिति में ठेकेदार या अन्य मजदूरों को फार्म के मुख्य द्वार के अतिरिक्त किसी अन्य रस्ते से आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
10. किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना से होने वाले नुकसान पर इस केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. अन्य शर्तें नीलामी के समय बताई जाएगी।
12. उक्त कार्य प्रभारी अधिकारी प्रक्षेत्र/तकनीकी अधिकारी/तकनीकी सहायक के मार्गदर्शन में करना होगा।
13. बोली दाता के अतिरिक्त अन्य किसी को बोली कक्ष में बेठने की अनुमति नहीं होगी। बोली के दोरान किसी को प्रक्षेत्र भ्रमण/बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
14. बोली पश्चात पशु/पक्षियों द्वारा व अन्य किसी तरह के नुकसान से फलों को बचाने की पूर्ण ज़िम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी।
15. फलों की तुड़ाई के समय बीच में लगी अंतः फसलों व फलों के पोधों को किसी प्रकार का नुकसान होने पर उसकी भरपाई करनी होगी।
16. फलों की तुड़ाई प्रभारी वैज्ञानिक को सूचना देने के पश्चात ही वैज्ञानिक/तकनीकी सहायक की देख रेख में ही करनी होगी व हर पोधे से फल तुड़ाई पश्चात फलों का वजन उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष दर्ज कराना होगा।
17. प्रति पेड़ 05 आवला सेम्पल हेतु कार्यालय द्वारा मागे जाने पर जमा करने होंगे।

18/9/25

(अशोक कुमार)
प्रभारी अधिकारी भण्डार

18/09/2025
STO/AF

प्रतिलिपि

- सूचना पटल एवं केंद्र के मेन गेट भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केंद्र, दतिया
- सहायक निदेशक (उद्यानिकी) दतिया को सूचनार्थ
- प्रभारी अधिकारी प्रक्षेत्र भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केंद्र, दतिया